

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
ई-५ अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर, म.प्र.भोपाल

२४।६
क्रमांक /विधि/ न.ग्रा.नि /एम-७६१

भोपाल, दिनांक २६/३/२०१४

प्रति,

संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय ~~दामोदर~~ (म.प्र.)

विषय:- म.प्र.लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2012 की धारा ३ के तहत आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के संबंध में निर्देश

-०-

आवास एवं पर्यावरण से संबंधित दो सवाओं को लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के प्रावधानों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तत् संबंध में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक /एफ-३-२२०/२०१२/३२ दिनांक १२.५.१४ की छायाप्रति संलग्न है। कृपया पत्र के साथ संलग्न परिपत्रों अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


(राजेश नागल)
संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म०प्र० भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक / एफ-३ - २२०/२०१२/३२
प्रति,

भोपाल, दिनांक १२/५/ २०१३

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र.भोपाल

विषय:- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के सम्बंध में निर्देश

आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित दो सेवाओं को, लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के अन्तर्गत, लोक सेवा प्रबन्धन विभाग की सूचना क्र.एफ-२-१३/२०१२/६१ भोपाल 2013 द्वारा सम्मिलित किया गया अधिसूचना ५९६ है। इस संबंध में जारी अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में दिनांक १८/५/२०१३ में किया गया है। इन सेवाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत आवास एवं पर्यावरण विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अधीकरण का पदनाम	प्रथम अधीकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अधीकरण का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7
17.1	अंगीकृत विकास योजाऊं में भूमि उपयोग की जानकारी	जिला कार्यालय प्रमुख, नगर तथा ग्राम निवेश	7 कार्य दिवस	कलेक्टर	10 कार्य दिवस	संभागायुक्त
17.2	अंगीकृत विकास योजाऊं में शोड की प्रस्तावित चौड़ाई की जानकारी	जिला कार्यालय प्रमुख, नगर तथा ग्राम निवेश	7 कार्य दिवस	कलेक्टर	10 कार्य दिवस	संभागायुक्त

10/5/2013
SPB
ग्र. ग्र. 1
मंत्रालय
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

उक्त सेवाओं को जन सामान्य के आवेदन पर, अधिसूचना में निर्धारित समय –सीमा में उपलब्ध कराया जाना है। निर्धारित समय–सीमा में नागरिकों को सेवाए उपलब्ध न कराये जाने पर, अधिनियम में आर्थिक दण्ड का प्रावधान है। अतः पदाभिहित अधिकारी का यह दायित्व है कि वह निर्धारित समय सीमा में वॉछित सेवाएँ उपलब्ध कराये।

अतः मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत नागरिकों को नियम समय –सीमा में सेवाएँ दिये जाने हेतु निम्नानुसार निर्देशों का पालन किया जाए :—

1. सभी जिला कार्यालयों के द्वारा इन सेवाओं के प्रदाय किये जाने विषयक नोटिस बोर्ड लगाए जाए तथा नोटिस बोर्ड पर उपरोक्त अधिसूचना की जानकारी दी जाए।
2. दोनों प्रकार की सेवाओं हेतु दो अलग— अलग आवेदनों का प्रारूप परिशिष्ट क.1 एवं 2 अनुसार कार्यालय में रखा जाये।
3. समस्त जिला पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त करने हेतु किसी कर्मचारी को प्राधिकृत किया जाये।
4. उक्त दोनों सेवाएँ स्थानीय लोक सेवा केन्द्र अथवा जिला कार्यालय प्रमुख, नगर तथा ग्राम निवेश के माध्यम से प्रदान की जावेगी।
5. उक्त सेवाओं हेतु प्राप्त आवेदनों की अभिस्वीकृति परिशिष्ट –3 के उल्लेखित प्रारूप में दी जावे।
6. इस संबंध में जिला कार्यालयों में पंजी (रजिस्टर) परिशिष्ट –4 में निर्धारित प्रारूप में संधारित की जावे।
7. भूमि उपयोग की जानकारी परिशिष्ट –5 के निर्धारित प्रारूप में दी जावे।
8. नगर की विकास योजनाओं में प्रस्तावित मार्ग की चोड़ाई परिशिष्ट –6 के निर्धारित प्रारूप में दी जावे।
9. आवेदनों के साथ निम्नानुसार शुल्क लिया जावे—

1—आवेदक से उक्त सेवाएँ प्राप्त करने हेतु प्रस्तावित भूमि उपयोग की जानकारी हेतु रु0 10/- प्रति खसरा कमांक के मान से तथा प्रस्तावित रोड चोड़ाई की जानकारी हेतु रु0 20/- मात्र प्रशासकीय व्यय लिया जायेगा।

2—एक खसरा क. के प्रत्येक बटान नम्बर को पृथक –पृथक खसरा क. माना जावेगा। इस प्रकार प्रत्येक बटान नं. हेतु रु0 10/- का प्रशासकीय व्यय शुल्क के रूप में देय होगा।

3—प्रशासकीय शुल्क के साथ —साथ लोक सेवा केन्द्र का आवेदन शुल्क रु0 30/- नगर जमा कराया जावे।

4— उक्त आवेदन शुल्क, लोक सेवा केन्द्र के द्वारा, वसूल किया जाएगा तथा वह ई-गवर्नेंस सोसायटी के माध्यम से, निम्न शीर्ष में जमा किया जाएगा :—

शीर्ष— 0217—शहरी विकास, 60—अन्य शहरी विकास योजनाएँ
800—अन्य प्राप्तियाँ

171—मास्टर प्लान एवं नगरीय योजनाओं की फीस से प्राप्तियाँ

10. **software** के माध्यम से दी जाने वाली जानकारी की प्रक्रिया संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के प्रस्ताव अनुसार रहेगी ।



प्रमुख सचिव
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

पृ. क्रमांक / एफ-3' - 220 | 2012/32

भोपाल, दिनांक 12/5/ 2014

प्रतिलिपि:—

1. समस्त कलेक्टर, जिला.....की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय.....म. प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. समस्त प्रबंधक—लोक सेवा केन्द्र, कलेक्टर कार्यालय, जिला.....की ओर कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


उप सचिव
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

परिशिष्ट- 1

विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग की जानकारी हेतु आवेदन

प्रति,

संयुक्त/उप /सहायक संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय

महोदय,

मुझे जिला— तहसील— ग्राम—
के खसरा कमांक— जो कि ————— नगर की अंगीकृत
विकास योजना में सम्मिलित है, के भूमि उपयोग/प्रस्तावित भूमि उपयोग प्रमाण पत्र
की आवश्यकता है।

निर्धारित शुल्क लोक सेवा केन्द्र पर जमा करा दिया गया है। राजस्व नक्शे
के खसरा अक्स की प्रति संलग्न है।
कृपया उक्त प्रमाण पत्र प्रदान करने का कष्ट करें।

स्थान:

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर
आवेदक का नाम एवं पूर्ण पता एवं मोबाइल नं

संलग्न:-

1. खसरा अक्स की प्रति जिसमें उक्त खसरा कमांक लाल रंग के घेरे से
अथवा हेचिंग करके दर्शाए गए हों तथा चारों दिशाओं में स्थित अन्य भूमियों
के खसरा कमांक प्रदर्शित है तथा निर्धारित शुल्क भुगतान संबंधी रसीद की
छाया प्रति।

परिशिष्ट- 2

विकास योजना में प्रस्तावित मार्ग की चौड़ाई की जानकारी हेतु आवेदन

प्रति,

संयुक्त/उप / सहायक सचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय—

महोदय,

(1अ) मुझे जिला— तहसील— ग्राम—
के खसरा कमांक,..... जो कि — नगर की अंगीकृत विकास योजना में सम्मिलित है, से गुजरने वाले मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई बाबत् प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। निर्धारित शुल्क लोक सेवा केन्द्र पर जमा करा दिया गया है राजस्व नक्शे के खसरा अक्स की प्रति संलग्न है।

अथवा

(1ब) मुझे जिला— के नगर— की अंगीकृत विकास योजना में प्रस्तावित— बिन्दु (लैंड मार्क / पहचान का स्थान) से— बिन्दु (लैंड मार्क / पहचान का स्थान) के बीच प्रस्तावित रोड़ चौड़ाई संबंधी प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। निर्धारित शुल्क लोक सेवा केन्द्र पर जमा करा दिया गया है।

कृपया उक्त प्रमाण पत्र प्रदान करने का कष्ट करें।

स्थान:

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर
आवेदक का नाम एवं पूर्ण पता मोबाइल नं.

संलग्न:-

- खसरा अक्स की प्रति जिसमें उक्त खसरा कमांक लाल धेरे से अथवा हेचिंग करके दर्शाया गया है तथा चारों दिशाओं में स्थित अन्य भूमियों के खसरा कमांक प्रदर्शित हैं (सिर्फ 1 (अ) हेतु) तथा निर्धारित शुल्क भुगतान संबंधी रसीद की छाया प्रति।

नियम 5 का प्रारूप—1

परिशिष्ट— 3

म.प्र.लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 नियम 5 (1) के अंतर्गत
अभिस्वीकृति का प्रारूप

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का _____
नाम एवं पता _____

1. आवेदक का नाम एवं पता एवं
मोबाइल नंबर _____

2. लोक सेवा केन्द्र पर आवेदन
प्राप्ति का दिनांक _____
3. सेवा का नाम जिसके लिये
आवेदन दिया गया है _____
4. उन दस्तावेजों का विवरण जो
सेवा प्राप्त करने के लिये आवश्यक
है किन्तु आवेदन के साथ संलग्न
नहीं किये गये हैं _____

5. निश्चित की गई समय-सीमा की
आखिरी तारीख _____

स्थान.....

दिनांक.....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम (मुद्रासहित)

नोट— आवेदक के साथ समस्त दस्तावेज प्राप्त न होने की स्थिति में उपरोक्त बिन्दु—5
में उल्लेखित आखिरी तारीख नहीं दी जायेगी ।

परिशिष्ट- 4

मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी नियम , 2010 के नियम 16 के अंतर्गत

नगर तथा ग्राम निवेश के कार्यालय में संधारित की जाने वाली पंजी का प्रारूप

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम—

माह— वर्ष —

अनु.क्रमांक	लोक सेवा केन्द्र से प्राप्त आवेदन पत्र क्रमांक एवं दिनांक	नगर तथा ग्राम निवेश के जिला कार्यालय में आवेदन प्राप्त दिनांक	आवेदक का नाम एवं पता	सेवा जिसके लिये आवेदन दिया गया है।	निश्चित की गई समय-सीमा की आखिरी तारीख	आवेदन स्वीकृत / निरस्त (निरस्ती के कारण सहित)	जानकारी प्रदाय करने संबंधी पत्र का क्रमांक एवं दिनांक

परिशिष्ट— 5

भूमि उपयोग प्रमाण पत्र प्रदाय किये जाने बाबत्

कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश जिला.....म.प्र.

प्रति,

विषय:—नगर की विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग की जानकारी ।

संदर्भ :— आपका आवेदन दिनांक.....

शासन द्वारा अनुमोदित विकास योजना अनुसार व्यापक तौर पर आवेदित क्षेत्र का प्रस्तावित भूमि उपयोग निम्नानुसार है :—

ग्राम	खसरा क्रमांक	विकास योजना में निर्धारित भूमि उपयोग

संयुक्त संचालक/उप संचालक/
सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय.....म.प्र.

नगर की विकास योजना में प्रस्तावित मार्ग की चौड़ाई की
जानकारी

प्रति,

कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश जिला.....म.प्र.

विषय:-
संदर्भ :-

नगर की विकास योजना में मार्ग की चौड़ाई की जानकारी।
आपका आवेदन दिनांक.....

शासन द्वारा अनुमोदित विकास योजना अनुसार ग्राम.....के खसरा
कमांक./कमांकों.....से गुजरने वाले

अथवा

बिन्दु.....(लैंड मार्क /पहचान का स्थान) से बिन्दु.....
(लैंड मार्क /पहचान का स्थान) के बीच प्रस्तावित मार्ग की चौड़ाई.....मीटर
(राइट आफ वे) है।

संयुक्त संचालक/उप संचालक/
सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय.....म.प्र.